


कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली
विज्ञापित संख्या:- 2704 / व्यवस्थापन/2021-22 चन्दौली: दिनांक 20.02.2021।

विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 21017/दस-लाइसेंस-367 / आबकारी नीति/2021-22/दिनांक 09.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद चन्दौली में वर्ष 2021-22 हेतु व्यवस्थापन के लिए अवशेष देशी शराब दुकान मुगलसराय न-1 गल्ला मण्डी तथा भांग की फुटकर दुकानों बेन पीयरी व ओरवा बिन्दासपुर के व्यवस्थापन हेतु ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23.02.2021 मध्याह्न 12.00 बजे से 26.02.2021 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। ई-लाटरी दिनांक 02-03-2021 को अपराह्न 12.30 बजे से एन0आई0सी0 चन्दौली में होगी। शेष नियम व शर्तें इस कार्यालय की पूर्व में प्रकाशित विज्ञापित सं0 2636/व्यवस्थापन/2021-22: दिनांक 01.02.2021 के अनुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन करने तथा दुकानों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण उपरोक्त पोर्टल के साथ-साथ जनपद की वेबसाइट <https://chandauli.nic.in> पर देखा जा सकता है तथा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।


(जितेन्द्र कुमार सिंह)


जिला आबकारी अधिकारी

चन्दौली।

संख्या: 2705-2713 / व्यवस्थापन/2021-22 चन्दौली: तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।
3. उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित के साथ संलग्न दुकानों का विवरण जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए ई-लाटरी के दिन दिनांक 02.03.21 को उपस्थित रहकर ई-लाटरी सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, निरोधक क्षेत्र, चन्दौली।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र-अमर उजाला व दैनिक समाचार पत्र-अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, चन्दौली से सत्यापित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


(जितेन्द्र कुमार सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी,
चन्दौली

वर्ष 2021-22 हेतु जनपद चन्दौली की ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली फुटकर बिक्री दुकानों से सम्बन्धित विवरण-पत्र

क्र० सं०	दुकान का प्रकार	दुकान का शॉप मास्टर क्रमांक एवं नाम	प्रास्थिति	प्रोसेसिंग फ़ीस (रू० में)	निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू० (36% वी/वी) (ब०ली० में)	निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फ़ीस (रू० में)	निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फ़ीस (रू० में)	निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रू० में)	निर्धारित साल्वेंसी धनराशि (रू० में)	निर्धारित धरोहर धनराशि (रू० में)
1	देशी शराब	(23496)-मुगलसराय न0-1 गल्ला मंडी	नगर पालिका	20,000	346,920	10,407,276	78,403,920	7,840,392	14,801,866	1,040,728

क्र० सं०		दुकान का शॉप मास्टर क्रमांक एवं नाम	प्रास्थिति	प्रोसेसिंग फ़ीस (रू० में)	वार्षिक एम०जी०क्यू० (कि०ग्रा० में)	वार्षिक प्रतिफल फ़ीस (रू० में)	निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फ़ीस (रू० में)	प्रतिभूति धनराशि (रू० में)	निर्धारित साल्वेंसी धनराशि (रू० में)	निर्धारित धरोहर धनराशि (रू० में)
1	भाँग	(60068)-बेन पीयरी	ग्रामीण	6,000	60	1,200	25,000	5,000	25,000	5,000
2	भाँग	(60143)-ओरवा बिन्दासपुर	ग्रामीण	6,000	60	1,200	45,000	7,700	45,000	5,000

120

70,000

20/02/2021
 DEO chh
 जिला अधिकारी अधिकारी
 चन्दौली